Case No.-114/2024

Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).
[Land Dispute Appeal Case No.- 114/2024]

Ashok Rajak and Other..Appellant

Versus

The State of Bihar and Other ....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	16.2.2026	(see below)	

16.2.2026

आदेश

यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर सहरसा द्वारा बी.एल.डी.आर. वाद संख्या-14/2022-23 में दिनांक-16.5.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है।

प्रश्नगत जमीन का विवरण निम्न है :-

अंचल	मौजा/थाना नं०	खाता पु0	खेसरा पु0	रकवा
कहरा	बनगाँव/137	969	7923	02 डी.

दिनांक-30.1.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है।

अपीलार्थीगण का कहना है कि उनकी माता डोमनी देवी को खाता संख्या पुराना-969, खेसरा पुराना-7923 एवं 7924 से निबंधित विक्रय पत्र दस्तावेज संख्या-2145 दिनांक-04.2.1994 से कुल रकवा-02 कट्ठा खरीदगी से प्राप्त है। तथा पुनः कुसुम देवी से अपीलार्थी के माता डोमनी देवी के द्वारा निबंधित विक्रय पत्र दस्तावेज संख्या-11196 दिनांक-11.11.1998 से 01 कट्ठा जमीन खरीदगी की गयी। तथा यह कि उनके नाम से कुल 03 कट्ठा का जमाबंदी संख्या-5634 कायम हुआ। एवं लगान रसीद कटने लगा। उनका कहना है कि अंचल अधिकारी, कहरा के ज्ञापांक-334 दिनांक-20.2.2020 के आलोक में अंचल अमीन द्वारा ग्रामीण पंचो के समक्ष डीजिटल नक्शा से मिलान कर नापी किया गया। अंचल अमीन के द्वारा खेसरा 7925 से श्री संतोष ठाकुर को 3.0562 डी. पहले नापी कर अलग कर दिया गया, उसके उपरांत खेसरा 7925 रकवा 01 कट्ठा लक्ष्मी रजक को नापी कर चिन्हित कर दिया गया। तथा खेसरा 7923 एवं 7924 में से 03 कट्ठा डोमनी देवी (अपीलार्थीगण की माता) को नापी कर चिन्हित कर दिया गया। साथ ही खेसरा 7923 में से मीणा देवी को 09 धूर यानी 02 डी. जो लक्ष्मी रजक से खरीद है वह मीणा देवी को चिन्हित कर दिया गया है। उनका कहना है कि बांकी 02 कट्ठा 11 धूर खेसरा 7923 में से अपीलकर्त्ता के पिता लक्ष्मी रजक का 02 कट्ठा 01 धूर पर मकान एवं बाड़ी-झाड़ी है और 10 धूर मीणा देवी के कब्जा में है। इस प्रकार मीणा देवी द्वारा 09 धूर के बदले 19 धूर कब्जा कर लिया गया है। जिसे खाली करवाया जाय। उक्त के आलोक में अपीलार्थीगण के द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने तथा अंचल अधिकारी, कहरा को सबुत के अनुसार जिसका खरीद पहले है उसे पहले जमीन पूरा करने तथा शेष रकवा रहने पर बाद वाले खरीददार को देने हेतु आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी का कहना है कि अपीलार्थी निम्न न्यायालय में अपने पिता लक्ष्मी रजक के साथ दिनांक-22.5.2023 को उपस्थित हुए किन्तु उनके द्वारा कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। जिस कारण एक पक्षीय कार्रवाई सुनिश्चित कर निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है। उनका कहना है कि लक्ष्मी रजक ने केवाला संख्या-2145 दिनांक-04.2.1994 के द्वारा कुसुम देवी, पति सुखदेव के साथ खाता पुराना 969 खेसरा 7923 साथ खाता 1415 खेसरा 7924 रकवा 03 कट्ठा खरीद किया। तथा दस्तावेज संख्या-11196 दिनांक-11.11.1998 को सह खरीददार कुसुम देवी से खाता 969 खेसरा 7923 में 01 कट्ठा विपक्षी से सटे उत्तर खरीद लिया। विपक्षी मीणा देवी (स्वयं) ने केवाला संख्या-2567 दिनांक-08.5.1995 के द्वारा 02 कट्ठा जमीन खरीद कर चौहद्दी के

	16.2.2026	अनुसार दखलकार हुई। तथा अपीलार्थीगण की माता डोमनी देवी से दस्तावेज संख्या-8986 से खाता पुराना 969 खेसरा पुराना 7923 से रकवा 02 डी. यानी 09 धूर खरीद की। जिस पर अपीलार्थीगण विपक्षी मीणा देवी को दखल नहीं देना चाहते हैं। जिसके लिए उनके (विपक्षी मीणा देवी) द्वारा अंचलाधिकारी, कहरा को दिये गये आवेदन के आलोक में अंचल अमीन से मापी कराकर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। अंचल अमीन के द्वारा समर्पित मापी प्रतिवेदन में अपीलार्थी के माता को प्राप्त 7923 एवं 7924 में कुल रकवा 03 कट्ठा अंकित है। जिसमें 7923 में 01 कट्ठा और 7924 में 02 कट्ठा कुल 03 कट्ठा प्राप्त है। किन्तु अपीलार्थीगण की माता डोमनी देवी के द्वारा कुसुम देवी से खरीदगी खेसरा-7923 के रकवा 01 कट्ठा में से 09 धूर (02 डी.) विपक्षी मीणा देवी को बिक्री कर दिया गया। अतः उक्त खेसरा में अपीलार्थी की माता को मात्र 11 धूर और खाता 1415 खेसरा-7924 में 02 कट्ठा कुल 02 कट्ठा 11 धूर मात्र बच गया। विपक्षी का यह भी कहना है कि अपीलार्थीगण के माता व सह खरीददार कुसुम देवी के केवाला संख्या-2145 में दर्ज खेसरा 1924 खाता-4115 में से 01 कट्ठा सहरसा-सुपौल मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण हेतु सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। जिसका मुआवजा अपीलार्थी के माता-पिता द्वारा पूर्व में उठाया जा चुका है। उनका कहना है कि निम्न न्यायालय के द्वारा सभी तथ्यों पर विचार कर दस्तावेजों, अंचल अमीन के मापी प्रतिवेदन एवं नजरी नक्शा का मिलान कर पारित आदेश न्यायोचित है। उक्त के आलोक में इस अपील वाद को खारिज करते हुए निम्न न्यायालय आदेश दिनांक-16.5.2024 को सम्पुष्ट करने का अनुरोध किया गया है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/ Rejoinder तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि वादी के माता डोमनी देवी को खाता पुराना 969, खेसरा पुराना 7923 तथा खाता संख्या-1415, खेसरा 7924 का कुल-03 कट्ठा जमीन प्राप्त था। जिसमें खाता संख्या पुराना 969 खेसरा संख्या 7923 का 02 डी. जमीन डोमनी देवी द्वारा विपक्षी मीणा देवी को विक्रय किया गया। विपक्षी मीणा देवी को पूर्व से ही खाता संख्या-969 खेसरा संख्या-7923 का 02 कट्ठा जमीन निबंधित केवाला से प्राप्त था। जिससे स्पष्ट होता है कि वादी के माता डोमनी देवी को खाता पुराना 969, खेसरा पुराना 7923 तथा खाता संख्या-1415, खेसरा 7924 में कुल 02 कट्ठा 11 धूर जमीन होना चाहिए तथा प्रतिवादी मीणा देवी को खाता संख्या पुराना 969 खेसरा संख्या 7923 में कुल 02 कट्ठा 09 धूर जमीन होना चाहिए। वादी और प्रतिवादी द्वारा सरजमीन पर अपने-अपने हिस्से की जमीन को लेकर मूल विवाद है। विपक्षी का अभिकथन है कि अपीलार्थी की माता व सह खरीददार कुसुम देवी के केवाला संख्या-2145 में दर्ज खेसरा संख्या-7924 खाता संख्या-4115 में से 01 कट्ठा जमीन सहरसा, सुपौल मार्ग के चौड़ीकरण हेतु सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। किन्तु इस संबंध में वादी एवं प्रतिवादी की ओर से कोई संगत कागजात सुनवाई में उपस्थापित नहीं किया गया है। अतः तदनुसार निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए अंचल अधिकारी, कहरा को प्रश्नगत खाता/खेसरा से सहरसा-सुपौल मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण हेतु सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन का मूल अभिलेख की जाँच करते हुए प्रश्नगत खाता/खेसरा में बचे शेष जमीन में से वादी एवं प्रतिवादी के हिस्से की जमीन का सीमांकन करते हुए दखल कब्जा दिलाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। Pnye k. 16/2/2026. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। Pnye k. 16/2/2026. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमंडल सहरसा